# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
## गौतम नगर, भोपाल 462023 दूरभाष– 0755–2600115

क्र /आर.एम.एस.ए./आधार/1509 भोपाल दिनांक 01/10/2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य हाई/हायर सेकैण्डरी मध्यप्रदेश।

**विषय - विद्यार्थियों के आधार नम्बर।**

संदर्भ - संचालनालय के पत्र क्रं/1203 दिनांक 28.08.2018।

शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के आधार नम्बर की आवश्यकता होने के कारण विद्यालय द्वारा आधार नम्बर की मांग की जाती है| भारत शासन दवारा सूचित किया गया है कि आधार नंबर न होने के कारण कई विद्यालयों द्वारा प्रवेश देने से मना करने के मामले सामने आए है।

इस संबंध में भारत शासन के यूआईडीएआई (यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथारिटी ऑफ इंडिया) के निर्देश दिनांक 5.9.2018 के अनुसार **कोई भी शासकीय/अशासकीय विद्यालय किसी भी विद्यार्थी को आधार नम्बर नहीं होने के कारण उस संस्था में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते है।**

आधार अधिनियम की धारा 12A में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जिनके पास के आधार नम्बर नहीं है, उनको विद्यालय में प्रवेश उपरांत उनके आधार पंजीयन/अथेंटिकेशन कराने की जिम्मेदारी विद्यालय की है। संचालनालय के पत्र क्रं/1203 दिनांक 28.08.2018 में आधार पंजीयन तथा अथेंटिकेशन हेतु आवश्यक निर्देश तथा आधार केन्द्रों की सूची पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। सूची एजूकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। संस्था प्रमुख अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को सूची में उल्लेखित नजदीकी आधार पंजीयन केंद्र में ले जाकर आधार पंजीयन/अथेंटिकेशन का कार्य पूर्ण कराएँगे।

भारत शासन के यूआईडीएआई (यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथारिटी ऑफ इंडिया) के निर्देश दिनांक 11.9.2018 के अनुसार एम.पी.एस.ई.डी.सी. के पास 1,000 से अधिक आधार पंजीयन किट उपलब्ध है, जिनका उपयोग आधार केम्प लगाने में किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी जिले के ई-गवर्नेंस मैनेजर के साथ बैठक कर केम्प का स्थल एवं समयसारणी तय कर कलेक्टर से इस संबंध मे आदेश प्रसारित कराएं। केम्प का आयोजन विकासखण्ड/संकुल स्तर के अधिक नामांकन वाले उमावि में किया जा सकता है जिससे केम्प में अधिक से अधिक विद्यार्थियों के आधार पंजीयन/अथेंटिकेशन कराने की कार्यावाही पूर्ण की जा सके।

अतः उक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाये किसी भी विद्यार्थी को आधार नंबर न होने पर प्रवेश से इंकार नहीं किया जाए।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.

प्र.क्र./ आर.एम.एस.ए./आधार/ 1510 भोपाल दिनांक 01/10/2018

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन आदिम जाति विकास विभाग।
4. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग।
5. आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग।
6. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र।
7. प्रबन्ध संचालक एम.पी.एस.ई.डी.सी.आई.टी.सेंटर भोपाल।
8. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
10. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास/जिलापरियोजना समन्वयक।
11. ई-गवर्नेंस मैनेजर समस्त जिले।
12. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।

आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र